



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20.12.2024

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध छुरा बरामद:-

दिनांक 19.12.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रोहित कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम गढ़ीअब्दुल्ला खां थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अवैध छुरा।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 सट्टेबाज गिरफ्तार, कब्जे से 1,240/- रुपये नगद व सट्टा पर्चा, डायरी, पेन व अवैध चाकू बरामद:-

आज दिनांक 19.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/जुआरी/सट्टेबाजो की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 सट्टेबाज अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके कब्जे से 1,240/- रुपये नगद, सट्टा पर्चा, डायरी, पेन व अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इसरार पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. नगदी 1,240/- रुपये, सट्टा पर्चा, डायरी, पेन।

2. एक अवैध चाकू।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से जुआ खेलते 04 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी 590/- रुपये व 02 ताश की गड्डी बरामद:-

दिनांक 19.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा सूचना पर 02 अलग-अलग स्थानों से जुआ खेलते 04 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है जिनके कब्जे से जुआ हेतु प्रयोग की जा रही नगदी 590/- रुपये एवं 02 ताश की गड्डी बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.खालिद पुत्र नजाकत निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।
- 2.इरशाद पुत्र मुस्ताख निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।
- 3.पवन कुमार पुत्र मांगे राम सैनी निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।
- 4.जगमोहन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम हिरण्वाडा थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-नकदी फड़ 590/- रुपये।
- 2-ताश की दो गड्डी।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली शामली/गढ़ीपुख्ता/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. चरण सिंह पुत्र कलीराम निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. सरजून पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम औदरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
3. शहजाद पुत्र फरजन्दा निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

आज दिनांक 20.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अंकित पुत्र सतपाल निवासी ग्राम टिकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 240/2017 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 218/2022 धारा 392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

3.मु0अ0सं0 222/2022 धारा 414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

4.मु0अ0सं0 34/2024 धारा 379/411 /420/427 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 96/2024 धारा 379/411/420/427 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 130/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 131/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 136/24 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 527/24 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2008 में अभियुक्त आकिल पुत्र नासिर निवासी मौहल्ला मोमदीगंज कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 251/2008 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2016 में अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ लाला पुत्र हरपाल निवासी ग्राम जागाहेड़ी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 143/2016 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20.12.2024 को माननीय न्यायालय स्पे0 पॉक्सो कोर्ट -2 मुजफ्फरनगर, द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि 08वर्ष 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया है।

3. वर्ष 2016 में अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ लाला पुत्र हरपाल निवासी ग्राम जागाहेड़ी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना आदर्श मण्डी पर मु0अ0सं0 144/2016 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 20.12.2024 को माननीय न्यायालय स्पे0 पॉक्सो कोर्ट -2 मुजफ्फरनगर, द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि 08वर्ष 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. आकिल पुत्र नासिर निवासी मौहल्ला मोमदीगंज कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. जोगेन्द्र उर्फ लाला पुत्र हरपाल निवासी ग्राम जागाहेड़ी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI